राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः एफ 7(53)(एफसी)परि / नियम / मु. / 2020 / 1639 जयपुर, दिनांकः 04/06/21

<u>कार्यालय आदेश..09 / 2021</u>

केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 63 से 73 तक के प्रावधानों को लागू करने के प्रयोजनार्थ निजी क्षेत्र के वाहन फिटनेस जांच केन्द्रों के विनियमन एंव नियन्त्रण करने एवं उनके कार्य संचालन की प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु कार्यालय आदेश 13 / 2018 के माध्यम से वाहन फिटनेस जांच केन्द्र विनियमन स्कीम "फिजा 2018" लागू की गई थी। इस स्कीम के कुछ प्रावधानों की पालना में आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों एवं समस्याओं को दूर करने हेतु कार्यालय आदेश संख्या 13 / 2018 दिनांक 24.04.2018 में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है:—

1. फिजा 2018 के बिन्दु संख्या 4 (e) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है:—

    4(e) केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 62 के अन्तर्गत निर्धारित जाँचों हेतु उपकरण यथा रोलर ब्रेक टेस्टर, साईड स्लिप टैस्टर, सस्पेन्सन टेस्टर, हैड—लैम्प टैस्टर, स्पीडोमीटर टैस्टर, ज्वाईंट प्ले टेस्टर, इंजन एनालाईजर / स्कैनर, डीजल स्मौक मीटर, गैसोलीन एनालाईजार इत्यादि स्थापित किये जायेगें। स्थापित किये जाने वाले उपकरण किस श्रेणी के वाहन का (हल्के / भारी) निरीक्षण करने हेतु सक्षम है बाबत् केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 126 में निर्धारित एजेन्सी द्वारा जारी उपकरण प्रतिस्थापन (Installation of machinery) प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही प्रारूप 1 (8) की पालना के लिए मशीनों के कैलीब्रेशन हेतु कैलीब्रेशन सेट हर समय रखे जाने की अनिवार्यता के स्थान पर सेन्टर पर जब भी आवश्यक हो, फिटनेस सेन्टर संचालक द्वारा अपने स्तर पर कैलीब्रेशन सेट उपलब्ध करवाये जाएगें।

2. फिजा 2018 के बिन्दु संख्या 5(i) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है:—

    5(i) आवेदनकर्त्ता द्वारा रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को फॉर्म 40 में विधिवत आवेदन प्रस्तुत करने के साथ, आवेदन फीस, प्रतिभूति राशि तथा एक एकड भूमि होने का साक्ष्य प्रस्तुत करने पर रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा छः माह की वैधता के साथ L.O.I. (Letter of Intent) प्रदान की जाएगी। उक्त छः माह की अवधि में आवेदनकर्त्ता द्वारा नियमानुसार समस्त प्रावधानों की पालना कर समस्त दस्तावेज रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होगें। रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा उपयुक्तानुसार दस्तावेजो सहित आवेदन पत्र प्राप्त होने पर पैरा 2 से 4 की अपेक्षाओं की पूर्ति, फिटनेस जांच केन्द्र में लेन सिस्टम के निर्माण, मशीनरी व उपकरणों की नियमानुसार स्थापना के संबंध में जांच की जावेगी।

3. फिजा 2018 के बिन्दु संख्या 6 (xiv) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है:–

6(xiv) फिटनेस जांच केन्द्र के संचालक द्वारा वाहनों की जांच एवं फिटनेस प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए नियुक्त एक या अधिक तकनीकी व्यक्ति/व्यक्तियों (कर्मचारी/कर्मचारियों) को विधिवत् नियुक्ति पत्र जारी किया जायेगा। नियुक्त किये गये तकनीकी कर्मचारियों द्वारा इस प्रकार की नियुक्ति पर सशपथ सहमति, रू. 50/– के यथा प्रमाणित नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर दी जायेगी। फिटनेस जांच केन्द्र के संचालक उक्त कर्मचारियों के specimen signature को अनुमोदित करेंगे एवं अनुमोदित specimen signature से अधिकार पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी व संबधित जिला परिवहन अधिकारी को यथा समय सूचित करेंगे।

4. फिज़ा 2018 के बिन्दु संख्या 6 (xv) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है:–

6(xv) फिटनेस जांच के लिए नियुक्त तकनीकी व्यक्ति/व्यक्तियों (कर्मचारियों) की अनुपस्थिति/अवकाश अथवा फिटनेस जांच केन्द्र छोड़ने की स्थिति में उसके स्थान पर निर्धारित अर्हता पूरी करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों (कर्मचारियों) की नियुक्ति उपरोक्त बिन्दु संख्या (xiv) के अनुसार की जाकर एवं उसके specimen signature को भी अनुमोदित करेंगे एवं अनुमोदित specimen signature से अधिकार–पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी व संबधित जिला परिवहन अधिकारी को यथा समय सूचित करेगें।

5. फिजा 2018 के बिन्दु संख्या 6 (xxi) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है:–

6(xxi) वाहन के यांत्रिक एवं Visual Inspection में सही पाये जाने के उपरान्त फॉर्म–38 में फिटनेस प्रमाण–पत्र फिटनेस सेंटर पर नियुक्त तकनीकी कर्मचारी द्वारा वाहन सॉफ्टवेयर 4.0 से ही जारी किया जायेगा। साथ ही फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करते समय, फिटनेस प्रमाण पत्र पर जारीकर्त्ता फिटनेस सेन्टर की सील (निरीक्षणकर्त्ता प्राधिकारी एवं फिटनेस सेन्टर का नाम) अनिवार्य रूप से लगायी जाएगी।

6. फिजा 2018 के बिन्दु संख्या 6 (xxii) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है:–

6(xxii) फिटनेस जांच केन्द्र द्वारा प्रति वाहन 200/– रू. की राशि उक्त केन्द्र के निरीक्षण, ''मोटर यानों को फिटनेस के लिए प्रमाण पत्र अनुदत्त करने या उसका नवीनीकरण करने'' के एवज में परिवहन विभाग को ई–ग्रास के माध्यम से उसी कार्य दिवस में जमा कराना आवश्यक होगा। उक्त राजस्व को वर्णित समय पर विभाग में जमा नहीं कराने अथवा जमा ही नहीं कराने पर संबंधित फिटनेस केन्द्र का निलंबन/निरस्तीकरण/के विरूद्व अपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जा सकेगा।

7. फिजा 2018 के बिन्दु संख्या 6 (xix) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है:–

6(xix) वाहन स्वामी द्वारा फिटनेस नवीनीकरण हेतु आवेदन उस राजस्व जिले में किया जा सकेगा जिस जिले में वाहन पंजीकृत है, या वाहन स्वामी ने पता परिवर्तन करवा रखा है तथा नियमित रूप से वहां कर जमा करवा रहा है, उस वाहन का उसी राजस्व जिले में स्थित निजी फिटनेस जांच केन्द्र से फिटनेस प्रमाण पत्र नवीनीकरण करवाया जायेगा। परिवहन कार्यालय में वाहन की फिटनेस नवीनीकरण हेतु आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा परंतु अगर किसी राजस्व जिले में प्राईवेट फिटनेस सेंटर स्थापित नहीं हो अथवा बंद कर दिये जाने अथवा निलंबन/निरस्तीकरण की स्थिति में अल्पावधि हेतु परिवहन आयुक्त द्वारा इस बावत आदेशित किये जाने पर वाहनों के यांत्रिकी निरीक्षण एवं फिटनेस प्रमाण–पत्र जारी करने का कार्य परिवहन कार्यालय द्वारा संपादित किया जा सकेगा।

8. फिजा 2018 के बिन्दु संख्या 7 (III) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है:–

7(III) प्रत्येक 2 वर्ष में जाँच केन्द्र की मशीनरी तथा कार्यप्रणाली का निरीक्षण विभागीय स्तर पर गठित तकनीकी रूप से दक्ष जिला परिवहन अधिकारी/निरीक्षक/उप–निरीक्षको के जांच दल से करवाया जायेगा। निरीक्षण रिपोर्ट रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।

9. फिजा 2018 में विन्दु संख्या 2 के पश्चात् उप विन्दु 2A जोडा जाता है:–

2A **एक राजस्व जिले में फिटनेस जांच केन्द्रों की अधिकतम संख्या का निर्धारण:–प्रत्येक राजस्व जिले में 15,000 परिवहन वाहनों की जांच के पीछे एक फिटनेस सेन्टर स्थापित किया जाएगा।**

(महेन्द्र सोनी)
परिवहन आयुक्त एवं
पदेन विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक: एफ 7 (53)(एफसी)परि/नियम/मु./2020/1640-46 जयपुर, दिनांक: 04/06/21

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन।
3. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव।
4. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण, परिवहन मुख्यालय, जयपुर।
5. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
6. सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

परिवहन आयुक्त एवं
पदेन विशिष्ट शासन सचिव